रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2014/चैत्र 4, 1936
No. 152] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2014/CHAITRA 4, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2014

सा.का.नि. 209(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप–धारा (2) के खंड (ख) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक लेखा सेवा काडर समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 की अनूसूची में, क्रम संख्यांक 3 के सामने, निरीक्षक(लेखा) के पद से संबंधित, स्तंभ 11 में की प्रविशिटयों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविशिटयां रखी जाएगी, अर्थात् :–

" आमेलन

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) में से जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा का पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में न्यून्तम तीन वर्षो का अनुभव रखते हैं।

प्रतिनियुक्ति द्वारा–

(i) ऐसे उपनिरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) जिन्होंने भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में वेतन बैंड–2, 9300–34800– रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा का पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव रखते हों।

(ii) ऐसे विभागीय सहायक जिन्होंने वेतन बैंड–2, 9300–34800–रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 की श्रेणी में पांच वर्श नियमित सेवा की है, जिन्होने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव रखते हों।

(iii) केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव रखते हैं।

(iv) केन्द्रीय सरकार में ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड–2, 9300–34800–रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, जिन्होने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में न्यूनतम तीन वर्शो का अनुभव रखते हों ; अथवा

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के योधक अनुसचिवीय की बावत् 52 वर्ष और विभागीय सहायक तथा अन्य केन्द्रीय सरकार के अधिकारी (सिविलियन) की बावत् 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए तारीख 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व–पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

टिप्पण 3: सहायक और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी (सिविलियन) जो निरीक्षक लेखा के पद पर चयनित हो जाते हैं किसी ऐसे भत्ते के लिए हकदार नहीं हो जाएंगे जिसके लिए भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के योधक कार्मिक हकदार है।

[फा. सं. I –12014/1/2012–संग.]

हरीश चंद्र निदेशक (पर्स–I)

टिप्पण– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 814 (अ) तारीख 7 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2014

G.S.R. 209(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Accounts Cadre, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012, against serial number 3, relating to the post of Inspector(Accountant), in column 11, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Absorption :

From amongst Inspectors (Combatant Ministerial) of Indo-Tibetan Border Police Force, who have successfully qualified in the Cash and Accounts Course conducted by the Institute of Secretariat Training and Management and possess minimum three years' experience in Cash, Accounts and Budget work.

By deputation :

(i) Sub-Inspectors (Combatant Ministerial) of Indo-Tibetan Border Police Force with five years' regular service in the grade in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 who have successfully qualified in the Cash and Accounts Course conducted by the Institute of Secretariat Training and Management and possess minimum three years' experience in Cash, Accounts and Budget work; or

(ii) Departmental Assistants with five years' regular service in the grade in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200, who have successfully qualified in the Cash and Accounts Course conducted by the Institute of Secretariat Training and Management and possess minimum three years' experience in Cash, Accounts and Budget work; or

(iii) Officers from other Central Government Ministries or Departments holding analogous posts on regular basis who have successfully qualified in the Cash and Accounts Course conducted by the Institute of Secretariat Training and Management and possess minimum three years' experience in Cash, Accounts and Budget work; or

(iv) Officers of the Central Government with five years' regular service in the grade in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- who have successfully qualified in the Cash and Accounts Course conducted by the Institute of Secretarial Training and Management and possess minimum three years' experience in Cash, Accounts and Budget work.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years in respect of Combatant Ministerial of Indo-Tibetan Border Police Force and 56 years in respect of Departmental Assistant and other Central Government Officer (Civilians) as on the closing date of receipt of application.

Note 2: For the purpose of the appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Note 3: The Assistants and the Central Government Officers (Civilians) who are selected for the post of Inspector(Accountant) shall not be entitled to any allowance which the combatised personnel of Indo-Tibetan Border Police Force are entitled to".

[F. No. I. 12014/1/2012-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers.-I)

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 814 (E) dated the 7th November, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.